"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मई 2015— वैशाख 28, शक 1937

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2015

अधिसूचना

क्रमांक 1427/549/2015/19/तक-4 . — भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय अधिसूचना क्र. एफ. 23-1-94-जी-उन्नीस, दिनांक 23 मार्च 1994 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, रायगढ़ जिले में तारापुर-टुण्ड्री मार्ग के कि.मी. 16/2 पर स्थित मांड नदी के चन्द्रशेखर पुल पर पथकर की वसूली 1 अप्रैल, 2015 से समाप्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2015

क्रमांक 1427/549/2015/19/तक-4 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1427/549/2015/19/तक-4, दिनांक 15-05-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

"विज्ञापन पत्र के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जून 2015—— ज्येष्ठ 29, शक 1937

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जून 2015

अधिसूचना

क्रमांक 1910/1244/2015/19/तक-4 —— छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4033/एस-1706/लो.नि.वि./2001, दिनांक 1 सितम्बर, 2001 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, कांकेर जिले में चारामा-कोरर मार्ग के कि.मी. 5/4 पर स्थित सिरसिदा पुल पर पथकर की वसूली तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है.

No. 1910/1244/2015/19/T-4. -- In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act. 1851 (No. VIII of 1851), as applicable to the State of Chhattisgarh, and in pursuance of this Department's Notification No. 4033/S-1706/P.W./2001, dated 1st September, 2001, the State Government, hereby, revokes with immediate effect the levy of toll on Sirsida Bridge situated on 5/4 Km of Charama-Korar Road in District Kanker with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.